उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग

संख्या-48/2022/आई/139664/41-1001/2/2022-01(सा0)/2018

लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश, पर्यटन विभाग के बढते आयाम एवं क्षेत्र के दृष्टिगत पर्यटन विकास के कार्यो को त्वरित गति प्रदान करने हेतु पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं शासन के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को समय से सम्पादित किये जाने के लिये पर्यटन अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-154/2018/2240/41-2018-01सा0/2018 दिनांक 29 अगस्त, 2018 द्वारा पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 मुख्यालय पर विशेष कार्याधिकारी का एक नि:संवर्गीय पद वेतनमान रू0-15600-39100 ग्रेड-पे रू5400/- मैट्रिक्स लेवल-10 (56100-177500) में सृजित करते हुए इस नि:सवर्गीय पद पर श्रीमती प्रिमला किशोर पत्नी स्व0 हरिराज किशोर, आई0ए0एस0 को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- विशेष कार्याधिकारी के सृजित उक्त नि:संवर्गीय पद की आवश्यकता एवं औचित्य पाये जाने के दृष्टिगत वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस पद की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-7-3476/दस/2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9. श्रीमती प्रिमला किशोर,विशेष कार्याधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(गिरीजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in